

मांग संख्या 82
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु ₹ 180.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन हेतु ₹ 170.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 3

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि हेतु राशि ₹ 6800.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 68,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 4

ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण हेतु राशि ₹ 817.21 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 8,17,21,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।